न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R-4300-II/14

नंदा पिता भोलीराम, जाति–धाकड़,
संगीतरा निवासी–वरवनिया गली कस्बा खाचरौद
तह. खाचरौद जिला उज्जैन ....आवेदक

विरूद्ध

1– सुन्दरलाल पिता रामकिशन, जाति–ब्राम्हण,
निवासी–खाचरौद

2– रणछोड़ पिता जानकीलाल, जाति–ब्राम्हण,
निवासी–खाचरौद

3– जगन्नाथ पिता जानकीलाल,जाति–ब्राम्हण,
निवासी–खाचरौद जिला उज्जैन

...अनावेदकगण

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 22/13–14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11/09/14 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्नलिखित कारणो के आधार पर पुनरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदकगण को कारण बताओं सूचना पत्र दिये बगैर आवेदक के पीठ पीछे बिना किसी उचित एवम वैध कारण के तहसील के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करने में महान वैधानिक त्रुटि की है जबकि विधान में यह प्रावधान है कि प्रकरण को अगर स्वमेव निगरानी में लिया जाता है तो हितबद्ध सभी पक्षकारों को सुनवाई का सूचना पत्र देना चाहिये तथा कारण बताओ सूचना पत्र देकर विधिवत् सुनवाई

XXIX(a)-BR(H)-11

(199)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4300-दो/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	